



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14032024-252982  
CG-DL-E-14032024-252982

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4  
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 173]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 14, 2024/फाल्गुन 24, 1945

No. 173]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 14, 2024/PHALGUNA 24, 1945

राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2024

फा. सं. टीई-32/2/2023-एनडीएसए-एमओडब्ल्यूआर.—राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण, बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 (2021 का 41) की धारा 54 की उपधारा (2) के खंड (ग), खंड (घ), खंड (ङ), खंड (छ), खंड (ण) और खंड (थ) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय समिति की सिफारिशों पर निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात:-

- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ- (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण विनियम, 2023 है।  
(2) यह राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।

- परिभाषाएं:- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -

- "अधिनियम" से बांध सुरक्षा अधिनियम, 2021 अभिप्रेत है;
- "प्राधिकरण" से अधिनियम की धारा 8 के अधीन स्थापित राष्ट्रीय बांध सुरक्षा प्राधिकरण अभिप्रेत है;
- "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

- (2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां और जो इन विनियमों में परिभाषित नहीं हैं किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं का वही अर्थ होगा जो अधिनियम में उन्हें दिया गया है।

- 8. Review of design flood of existing specified dams.** -The design flood review referred to in clause (b) of sub-section (2) of section 38 of the Act shall be carried out in every ten years or such lesser period as may be determined by the National Dam Safety Authority.

ANIL JAIN, Chairman

[ADVT.-III/4/Exty./827/2023-24]

---

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064  
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

RAVINDER  
KUMAR

Digitally signed by RAVINDER KUMAR  
DN: cn=Ravinder Kumar, o=Ministry of Water Resources, ou=Government of India, email=Ravinder.Kumar@nic.in